बिहार विधान परिषद्

सत्र - 184

2 दिसम्बर, 2016

समापन भाषण

माननीय नेता, सत्तारूढ़ दल

माननीय नेता, विरोधी दल

विभिन्न दलों के नेतागण

मंत्रिपरिषद् के माननीय सदस्यगण

बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण

आज 2 दिसम्बर, 2016 को बिहार विधान परिषद् के 184वें सत्र का समापन हो रहा है। इस शीतकालीन सत्र में कुल 6 बैठकें आयोजित हुईं। सत्र के दौरान ध्यानाकर्षण, शून्यकाल एवं प्रश्नों के माध्यम से लोकहित के कई महत्वपूर्ण मामले सदन में लाए गए। इस सत्र के दौरान माननीय सदस्यों ने पूरी गंभीरता से अपने संसदीय सरोकारों को दर्शाते हुए जन समस्याओं से जुड़े प्रश्नों के समाधान के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाई।

इस सत्र के दौरान अनेक विधायी कार्यों के सफलतापूर्वक निष्पादन के साथ-साथ, निम्न महत्वपूर्ण विधेयक भी पारित किए गए :

(1) वित्तीय वर्ष 2016-2017 की द्वितीय अनुपूरक व्यय-विवरणी का उपस्थापन

(2) वित्त सेवा (चयन द्वारा नियुक्ति) (निरसन) विधेयक, 2016

(3) बिहार राज्य फुटपाथ विक्रेता (जीविका संरक्षण एवं व्यापार विनियमन) (निरसन) विधेयक, 2016

(4) बिहार राज्य वाहन करारोपण (संशोधन) विधेयक, 2016

(5) आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2016

(6) बिहार राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2016

(7) बिहार विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 2016

सदन के प्रति सरकार के सद्भाव, सक्रियता तथा सम्मान-भाव के लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं। परिषद् के माननीय सदस्यों का भी आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने सदन-संचालन में सहयोग दिया। प्रिंट एवं इलेक्ट्रोनिक मीडिया के पत्रकार एवं छायाकार प्रतिनिधियों का भी आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने सदन में उभरे लोकहित के स्वर को प्रकाशित-प्रसारित करने में अपनी तत्परता दिखाई।

मैं बिहार विधान परिषद् के सचिव एवं परिषद् सचिवालय के पदाधिकारियों, कर्मियों को भी धन्यवाद देता हूं जिनके सहयोग एवं सक्रियता से सत्र का संचालन सफलतापूर्वक संपन्न हो सका।

अवधेश नारायण

सिंह

2 दिसम्बर, 2016 सभापति